12 जून, 2020 सरकारी आदेश **2020-42**

<u>कोविड-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश</u>

<u>(कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या. 40)</u>

चूँकि, कुछ ही समय में कोरानावायरस बीमारी 2019 (COVID-19), जो एक नई गंभीर तीव्र सांस की बीमारी है, ने शीघ्रता से पूरे इलिनॉय में फैल गया है इसलिए संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से कड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता और बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय की आवश्यकता है; और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) श्वसन संचारों के माध्यम से लोगों में फैल सकता है, और उल्लेखनीय रूप से अधिक जोख़िम एवं चुनौतियां प्रस्तुत करता है क्योंकि लक्षणहीन लोग वायरस का संचरण कर सकते हैं, और इस समय कोई भी प्रभावी उपचार या वैक्सीन नहीं है; और,

जबकि, 9 मार्च, 2020 को मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, 1 अप्रैल, 2020 को,मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को कोविड-19 (COVID-19) के विस्फोटक फैलाव के कारण, आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, 30 अप्रैल, 2020 को, चूंकि कोविड-19 (COVID-19) का प्रसार जारी रहने की अपेक्षा, और संपूर्ण राज्य में परिणामी स्वास्थ्य प्रभावों के कारण, और अस्पताल शैया, ICU शैया, वेंटिलेटरों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और विषाणु यानि वायरस के परीक्षण की सामग्री की संभावित कमी को दूर करने के लिए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया था (तृतीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन), और, प्रथम व द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स)); और,

जबकि, 29 मई, 2020 को, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के कारण हुई हजारों मौतों, मामलों में लगातार वृद्धि, अस्पताल शैयाओं, ER शैयाओं और वेंटिलेटरों की कमी का ख़तरा लगातार बने रहने, और पहले से बेहतर पर अभी-भी अपर्याप्त परीक्षण क्षमता के कारण, और विषाणु यानि वायरस के कारण हुए वित्तीय विनाश के कारण, मैंने पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, कोविड-19 के प्रकोप के समय इसके प्रसार को रोकने या धीमा करने तथा COVID-19 महामारी के दौरान लोक स्वास्थ्य की रक्षा करने हेतु इलिनॉय राज्य के लिए लगातार तत्काल और महत्त्वपूर्ण उपाय करते रहना आवश्यक और उचित है; और,

जबकि, रोग नियंत्रण एवं निवारण केंद्र (CDC) की यह सलाह है कि दूसरों के साथ आमने-सामने के संपर्क को सीमित करना कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है, और यह कि सामाजिक दूरी – यानि अन्य लोगों से कम-से-कम 6 फ़ीट दूर रहना, समूहों में एकत्र न होना, और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर रहना – वायरस के प्रसार को धीमा करने के सर्वोत्तम साधनों में से एक है; और,

जबकि, CDC कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को धीमा करने के लिए, ऐसे सार्वजनिक स्थानों जहां सामाजिक दूरी के उपाय बनाए रखना कठिन है वहां कपड़े के फ़ेस कवर पहनने की, और अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण उपायों की अनुशंसा करता है, जैसे बारंबार हाथ धोना, खांसते व छींकते समय नाक व मुंह को ढकना, और बारंबार छुई जाने वाली सतहों की सफाई एवं विसंक्रमण करना; और,

जबकि, CDC मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए, कार्यकारी आदेश 2020-38 सामाजिक दूरी व्यवहार में लाने, सार्वजनिक स्थानों पर फ़ेस कवर पहनने, और लोगों के एकत्रण को दस या कम लोगों तक सीमित करने को अनिवार्य करता है; और,

जबकि, इलिनॉय की 101 काउंटियों में कोविड-19 (COVID-19) के पुष्ट मामलों की संख्या 131,000 से अधिक है; और,

जबकि, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) से 6,260 से अधिक मौतें हो चुकी हैं; और,

जबकि, हालांकि कोविड-19 (COVID-19) के नए मामलों की संख्या हाल के सप्ताह में स्थिर हो गई है और संभावित रूप से घटने लगी है, पर वायरस अभी-भी हजारों लोगों को संक्रमित कर रहा है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में इलिनॉय वासियों की जान ले रहा है; और,

जबकि, जैसे जैसे वायरस इलिनॉय में फैला है, राज्य के सामने संकट का बढ़ना जारी है और एक लगातार विकसित होती प्रतिक्रिया की आवश्यकता है ताकि अस्पताल, स्वास्थ्य कर्मी और प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले लोग इलिनॉय के सभी निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करें, और यह लगातार अपडेट होने वाले इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ और CDC के मार्गदर्शन के अनुरूप हो; और,

जबकि, राजकीय मेला अधिनियम (स्टेट फ़ेयर एक्ट), 20 ILCS 210/5, यह उपबंध करता है कि इलिनॉय कृषि विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर, IDOA), कृषि एवं कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंगफ़ील्ड (Springfield), इलिनॉय में एक राजकीय मेले (इलिनॉय राजकीय मेला/स्टेट फ़ेयर) और डूकॉइन (DuQuoin), इलिनॉय में एक राजकीय मेले (डुकॉइन राजकीय मेला/स्टेट फ़ेयर), सामूहिक रूप से राजकीय मेलों, का वार्षिक अंतराल पर आयोजन करेगा और उद्योग, शिक्षा, कला व शिल्प, श्रम एवं मनोरंजन के क्षेत्रों में और राज्य के लोगों की रुचि के अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शनियों और गतिविधियों की व्यवस्था करेगा; और,

जबकि, स्प्रिंगफ़ील्ड में इलिनॉय राजकीय मेले का आयोजन 13 अगस्त से 23 अगस्त, 2020 तक और डुकॉइन राजकीय मेले का आयोजन 28 अगस्त से 7 सितंबर, 2020 तक होना निर्धारित है; और,

जबकि, पारंपरिक रूप से राजकीय मेलों में मनोरंजन संबंधी गतिविधियों, प्रतिस्पर्धाओं, प्रदर्शनियों, वेंडरों, सवारियों, और ऐसी अन्य गतिविधियों का आयोजन होता आया है जिनमें बड़ी संख्या में लोग एक-दूसरे के बेहद समीप एकत्र होते हैं – 2019 के राजकीय मेलों में 6,00,000 से भी अधिक लोग आए थे; और,

जबकि, दोनों ही राजकीय मेलों की बहुत सी गतिविधियों में पर्याप्त सामाजिक दूरी एवं अन्य पर्याप्त स्वास्थ्य सावधानियां बनाए रखना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन तो होगा ही; और,

जबकि, मेलों में आने वाले लोगों, मनोरंजन कर्मियों, प्रतिस्पर्धियों, वेंडरों, कर्मचारियों, और राजकीय मेलों के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य व सुरक्षा सर्वोपरि महत्व रखते हैं;

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझ में निहित शक्तियों द्वारा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1), 7(2), 7(8), 7(12) के अनुसार, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं:

<u>अनुभाग 1.</u> आपदा उद्घोषणाओं (डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान, राजकीय मेला अधिनियम (स्टेट फ़ेयर एक्ट), 20 ILCS 210 ILCS/5, का वह उपबंध एतद्द्वारा स्थगित किया जाता है जो यह उपबंध करता है कि विभाग स्प्रिंगफ़ील्ड और डुकॉइन में वार्षिक अंतराल पर राजकीय मेले आयोजित करेगा। कृषि विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर) को इस कार्यकारी आदेश के अनुसरण में 2020 में होने के लिए निर्धारित राजकीय मेलों को निरस्त करने का निर्देश दिया जाता है।

<u>अनुभाग 2.</u> यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया हैं।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (Governor)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 12 जून, 2020 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 12 जून, 2020 को दायर